FORM-1

Page No.....

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Rudraprayag

No20

Dated_16-01-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.9100 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Mavadhar to Chamak Motor Road under Distt Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Chamak** village (s) in **Rudraprayag** tehsils.

It is further certified that:

(a)

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
 (c) the proposal does not in the section of the section of the proposal does not in the section of the se
 - the proposal does not involve roognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Dr. Raghav Langer

(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag Dated:....

> Os (Raghav Langær) District Magistrate-cum-Chairman, District Level Committe, Rudraprayag

परियोजना का नाम :- जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

> वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम :–

तहसील रूद्रप्रयाग, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 2.000 किमी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.1900 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.910 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.910 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत <u>(1))</u> द्वारा दिनांक 24.12/19 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम — ५१२२४ क्रू---- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम साचिव् / वि० ख० अगरत्यमुनि জিলা কর্মযায

नोट :--यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :- जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

दिनांक 24/19/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - 41279

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ	हस्ताक्षर
	ग्रामवासियों के नाम	
\bigcirc	At gural co dia an	802
and one	1	
Ð	अमे प्रश्नराम्सेभ्याल	(3
		0
(3)	SAT isolas parara -	8
$\tilde{\mathbf{a}}$	Al- (1)- द्य (4) नन्द्र (मेत्र OTM -	n .
Y	×1- (1) - 4) - 1 - 4 (1210) -	2m
P	SA altor com a) it	121-1
6	SIF 012 56 (12000 07)15	\$ 2 2 5 4 8
m		A PART SARA DA
0	11 -4769007-47)(7))	cony
AD	" (भुकेश गढ सेम्याल)	Mini
		1.
(8)	नरोल्म.प्रसाद 73	* regeon for
		in stands on a second
चन्द्रस्य भाष	STREAM OF THEFT, ASSAULT AND THE THEFT	in them are a subscript in
		त आध्यत्रमा २००२ के घ्रत्यात
with the loss		
		and subject on the Pro-St
Ser.	A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T	TOTAL MARK MARK
And the	्याणस्त्रम्णे में जिला योजनों हो जन्मील मंग	THE W SHARE SHEEP IN
	तीय विस्तृत विद्युप को यह तीने रस्तानाल	Tratit Million a See

संलग्न है।



र्म्सा सम्ब

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतू लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :- रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमूनि।

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमूनि जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतू लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.91 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.9100 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रूद्रप्रयाग) की दिनांक 24119114 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूंचितं जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ----- उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में

आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निस्नानुसार है।

1- श्री चतर सिंह चौहान उपजिलाधिकारी रूद्रप्रयाग अध्यक्ष

2- श्री अजय शर्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग, संदस्य

3- श्री हर्षवर्धन भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी, कुद्रप्रयाग, सदस्य सचिव क्रिया क्रि

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, परियोजना हेत्. 0.910 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेत् प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेत् प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चूकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत मवाधार से चामक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, परियोजना के निर्माण हेत् 0.910 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति